तालिका– 2

शैक्षणिक/शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक/शोध क्रियाकलाप	विज्ञान/ अभियांत्रिकी/कृषि विज्ञान/ अभियांत्रिकी/ कृषि/चिकित्सा/ पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय विज्ञान	प्राप्त अंक
1.	**समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र**	**10 per paper**	
2.	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	
	पुस्तक	08	
3.	**आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास और पाठ्यचर्या का विकास**		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	**05**	
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	**02** प्रति पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम	
	(ग) एमओओसी		
	चार चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक/ क्रेडिट)	20	
	प्रति मॉड्यूल/व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	
	विषयवस्तु लेखक/ एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	
	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक/क्रेडिट)	08	
	(घ) ई– विषयवस्तु		
	पूर्ण पाठ्यक्रम / ई– पुस्तक हेतु चार चतुर्थांशों में ई– विषयवस्तु का विकास	12	
	प्रति मॉड्यूल ई– विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	

	समग्र पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई–पुस्तक में ई– विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई–पुस्तक हेतु ई– विषयवस्तु का संपादक	10	
4.	**(क) शोध मार्गदर्शन**		
	पीएच.डी.	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध	
	एम.फिल./ स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	
	10 लाख से कम	05	
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	05	
	10 लाख से कम	02	
	(घ) परामर्शत्री सेवाएं	**03**	
5.	(क) पेटेंट		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	
	राष्ट्रीय	07	
	(ख) *नीतिगत दस्तावेज (सं.रा.सं./ यूनेस्को/ विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए) य/संगठन को सौंपे गए)		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	
	राष्ट्रीय	07	
	राज्य	04	
	(क) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	अंतर्राष्ट्रीय	07	
	राष्ट्रीय	05	
6.	*** अतिथि व्याख्यान/ संसाधक/ संगोष्ठियों/ सम्मलेनों में पत्र प्रस्तुतीकरण/ सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)**		
	अंतर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	
	राष्ट्रीय	03	
	राज्य/ विश्वविद्यालय	02	

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक):

i. प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र – 5 अंक
ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र – 10 अंक
iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 15 अंक
iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 20 अंक
v. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 25 अंक

vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र – 30 अंक

(क) दो लेखक : प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखक : प्रथम /मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएं : मूल शोधकर्ता और सह– शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा

नोट :

- यदि संपादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों का भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह– पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- *शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ 5(ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध अंक, आमंत्रित व्याख्याता /संसाधक /पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।